तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स, जज मु. नं. -64/21	नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.08.23	वादी परमजीत कौर पुत्री जीत सिंह और प्रतिवादी सं 1 कुलविंद कौर पुत्री जीत सिंह, जाति जटसिख ने Early hearing प्रा. पत्र पेश किया. प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है क्योंकि दोनो पक्ष सहमत है. विवाद का ब्यौरा इस प्रकार है कि विवादित जमीन – प. हल्का शाहपीनी के चक 15 M.J.D के खाता सं 73/9 की 1.733 है. जमीन, वादिया और प्रतिवादी सं 1 के नाम, बराबर हिस्से में दर्ज है तथा इसी चक 15 MJD के खाता सं 16/9 की 1.733 है जमीन प्रतिवादी सं 1 के नाम दर्ज है. वादिया ने दावा किया है कि खाता सं 16/9 में उसका 1/2 हिस्सा बनता है क्योंकि उक्त जमीन पैतृक है. प्रतिवादी सं 1 ने धोखाधड़ी से इस जमीन का दान अपने पक्ष में करवा लिया. दोनो पक्षो ने राजीनामा पेश किया है जिसके तहत प्रतिवादी सं 1 ने खाता सं 73/9 में अपने हिस्से में से 0.575 है. वादिया के पक्ष में transfer किया है ~~प्रत~~ वादिया ने खाता सं 16/9 की जमीन के संबंध में अपना दावा त्याग दिया है. जारी. [signature] सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी	वादिया परमजीत कौर I by me [signature] प्रतिवादी सं 1 कुलविन्द्र कौर I. by me [signature]

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व इहकाम जो की तामील के ब हु
	मु.न -64/21	
	राजीनामा विधिसम्मत है व 41 के Record के मुताबिक विवादित जमीन पक्षकारों के पिता जीत सिंह की पैतृक जमीन है. इसमें बराबर इसलिए दोनों बहनों का हक बनता है. इसलिए राजीनामा को स्वीकार किया जाकर, S. 88 RT act के तहत वादिया और प्रतिवादी सं1 को खाता सं 73/9 के संबंध 15 M.J.D के खाता सं 73/9 के संबंध में निम्न तरीके से खातेदार घोषित किया जाता है-	
	~~1 परमजीत कौर w/o राजविंद्र सिंह (पुत्री जीत सिंह)~~	
	~~मु.न 20 किला~~ न.	
	इस खाते के मु.न 11 के किला न. 22 और 23/2 - कुलविंद्र कौर पुत्री जीत सिंह (w/o गुरतेज सिंह) के नाम दर्ज की जाएगी तथा इस खाते की शेष 1.442 है (मय गैर मु) जमीन परमजीत कौर पुत्री जीत सिंह (w/o राजविंद्र सिंह) के नाम दर्ज की जाएगी.	
	...जारी	
	सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व इहकाम जो की तामील
	मु.नं.- 64/21 पुश्तैनी जमीन के संबंध में civil court संगरिया में भी वाद विचाराधीन था. पक्षकारों के मुताबिक उक्त वाद को withdraw कर लिया गया है. इसलिए राजीनामा स्वीकार किया जाकर, तहसीलदार संगरिया को आदेशित किया जाता है कि जमाबंदी संवत 2073-76 के खाता सं 73/9 में कुलविंदर कौर के नाम दर्ज जमीन रहनमुक्त होकर इस फैसले की पालना की जाए. राजीनामा (Annx-1) फैसले का जरूरी हिस्सा रहेगा। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official